282/XV/01-09-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के **पत्रांक संख्या 5275/आ0लि0–1/2020** दिनांकित **28–08–2020** के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि वाह्य न्यायालय परिसर मुहम्मदाबाद कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर है।

तदनुसार जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर में दिनांक 29–08–2020, 30–08–2020 व 31–08–2020 अवकाश दिवस रहा है तथा जिलाधिकारी, गाजीपुर की उक्त आख्या अवकाश दिवस में ही प्राप्त हो गयी है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाबाद द्वारा पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/ Dated 03 June, 2020 के माध्यम से जारी गाईडलाइन के आलोक में वाहयस्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर आज दिनांक 01–09–2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेंगे।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षित किया जाता है कि प्रतिदिन वाहयस्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उक्त के बाबत सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी प्रेषित हो।

Raghuvendra 01/9/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनांक : सितम्बर 01, 2020